"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 183]		रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 जून 2010—आषाढ़ 2, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जून 2010

आदेश

क्रमांक 7062/1573/21-ब/छ. ग./2010.—छ. ग. शासन विधि विभाग के आदेश क्र. 13040/XXI-B/C.G./06 दि. 31-10-2006 के द्वारा राज्य के न्यायिक अधिकारियों को किरायामुक्त शासकीय आवास की सुविधा दि. 1-11-1999 से प्रदान की गई है, अत: न्यायिक अधिकारियों को आवंटित शासकीय आवास गृह की दि. 1-11-1999 के पश्चात्, वसूल की गई किराये की राशि (लाईसेंस शुल्क) वापसी योग्य है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा न्यायिक अधिकारियों को आवंटित शासकीय आवास गृह की दि. 1-11-1999 के पश्चात्, वसूल की गई किराये की राशि (लाईसेंस शुल्क) वापसी का आदेश प्रदान करता है.

न्यायिक अधिकारियों को आवंटित शासकीय आवास गृह का दिनांक 1-11-1999 के पश्चात् वसूल की गई किराये/लाईसेंस की वापसी को कार्यवाही उसी आहरण एवं संवितरण अधिकारी, जिनके द्वारा किराये की राशि की कटौती की गई, के द्वारा की जायेगी तथा वसूल की गई किराये की राशि संबंधित न्यायिक अधिकारी को लौटायी जायेगी. यदि किसी न्यायिक अधिकारी को एक समय में एक से अधिक शासकीय आवास गृह आवंटित रहे हो तो उस न्यायिक अधिकारी के पदस्थापना के स्थान पर आवंटित शासकीय आवास गृह के ही किराया मुक्त होने की पात्रता होगी.

उक्त संबंध में गृह विभाग की सहमति के पश्चात् वित्त विभाग के यू. ओ. क्र. 148/22626/ब-1/4, दि. 6-5-2010 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.